

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/1/22

पता. (बाराही) वकील (910) रुपा 94 वाराह-
उदादिम सुविचारि उदाव- कान 7.12.22
असाक बिहारी मया पाला ही मयाप-पुण्य
ले लिखा नाम हंगामा गामा पलाडिका
कात ही सुविचारि बिहारीका पुनरलेखा
पता. कोसल शुभाल लेने मय लेम-
कामकी नामक बारिवाला पलाक लेखा

MS/1/22
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दफ्तर
मिर्जापुर (भरतपुर) 1-4

MS/1/22
मिर्जापुर
1 डि 2022

MS/1/22
मिर्जापुर
1 डि 2022

MS/1/22

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 लोकेश कुमार बनाम ओमवती वगैरा

मुकदमा नंबर 136/2019

दावा बाबत 53,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू- व हाजरी वादी
मिनजानिब मुददठ व मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि


विवादित हाल आराजी खाता सं. 22 के आराजी खसरा न. 1296 रकवा 0.48 हैक्ट. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबईइ रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बैज - मुबलिंग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीख सं. तारीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.04.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत



सहायक कलक्टर 23/4/24

कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

मुददई	रुपया	पैसा	मुददालय	कार्यपालक दण्डनायक पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक	
मीजान			मीजान	

23/4/24

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

1. लोकेश बसंल पुत्र शिवलाल जाति वैश्य निवासी करखा नदबई तह.नदबई(भरतपुर)

वादी

बनाम

1. ओमवती पत्नि रामचरन जाति जाट निवासी बैलारा तह.नदबई(भरतपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

23/4/2024
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.
136/2019

रजू दिनांक
01.08.2019

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
23.04.2024

उनवान

1. लोकेश बसंल पुत्र शिवलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा नदबई तह.
नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. ओमवती पत्नि रामचरन जाति जाट निवासी बैलारा तह.नदबई(भरतपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.04.2024 को श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खाता सं. 22 के आराजी खसरा न. 1296 रकवा 0.48 हैक्ट. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई

रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



23/4/24
(गंगाधर शर्मा)
सहायक सीलिंग अधिकारी
न्यायालय नोएडा
सहायक कलक्टर
नदबडे (भरतपुर) राउबई

न्यायालय नोएडा
सहायक कलक्टर